रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 437
No. 35]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939	[N.C.T.D. No. 437

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2018

सं0फा0 6(1)/आरआर/एसबी/डीटीटीई/2013/339.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68–डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से यहां संलग्न अनुसूची में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, जी0 बी0 पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में भर्ती नियम बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन विनियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रधानाचार्य, जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज के पद हेतु भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2018 कहा जायेगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन समूह शैक्षिक ग्रेड एवं संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 11 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

   (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

   शर्त यह है कि यदि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **बचाव**:– इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रधानाचार्य
2.	पदों की संख्या	:	01 (2018)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	पे बैंड–4, 37400–67000/–रुपये + शैक्षणिक ग्रेड पे 10,000/–रुपये+विषेश भत्ता 3000/–रुपये प्रतिमाह
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा, अल्पकालिक संविदा सहित
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ अर्धसरकारी या स्वायत्त निकाय/सांवधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड–4, 37400–67000/–रु. ग्रेड पे 9000/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले: अनिवार्य :– (1) मैकेनिकल एवं ऑटोमिशन इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर सांईस एवं इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी सहित बी.ई./बी.टैक तथा एम.ई./एम. टैक. अथवा बी.ई/बी.टैक या एम.ई./एम. टैक. तथा पी.एच.डी. में समकक्ष या सुसंगत विशय में समकक्ष (2) शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रोफेसर स्तर का हो, या शिक्षण तथा/या अनुसंधान तथा या उद्योग में 13 वर्ष का अनुभव शोध कार्य के अनुभव के मामले में पुस्तकें/शोध पत्र प्रकाशन/बौद्धिक संपदा अधिकार/अधिकार पत्र चयन समिति के

			विषेशज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग का अनुभव विचारणीय है तो वह प्रबंधनीय स्तर का प्रोफेसर के तुलनीय हो, डिजाइनिंग, नियोजन, निश्पादन, विश्लेशण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकें/शिक्षण/शोध पत्र प्रकाशन/बौद्धिक संपदा अधिकार/अधिकार पत्र इत्यादि चयन समिति के विषेशज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। वांछनीय :- पीएचडी के पश्चात् प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन वांछनीय है। नोट-1: पीएचडी की तुलयता पांच अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के प्रकाशन पर आधारित है, प्रत्येक पत्रिका कम से कम 2.0 संची प्रभाव सूचकांक रखने वाली हो, जिसका पदधारी एक मुख्य लेखक के रूप में हो और समस्त पांच प्रकाशन लेखक के विषेशज्ञता क्षेत्र से हो। नोट-2: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी। नोट-3: पदधारी सहायक प्रोफेसर के लिए इस पद के स्तर का अनुभव ऐसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकक्ष माना जायेगा, बशर्ते कि पदधारी सहायक प्रोफेसर ने सुसंगत विशय में पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी/है। नोट-4: डिप्लोमा संस्थान के अनुभव को भी समुचित स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थान के अनुभव के समकक्ष और जैसा लागू हो, माना जायेगा तथापि उपरोक्त योग्यताएं अनिवार्य होंगी। नोट-5: यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है तो कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा। ग्रेड प्वाइंट — अंकों का प्रतिशत 6.25 — 55 प्रतिशत 6.75 — 60 प्रतिशत 7.25 — 65 प्रतिशत 7.75 — 70 प्रतिशत 8.25 — 75 प्रतिशत (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी। पद के लिए नियुक्त पदाधिकारी समान चयन प्रक्रिया के बाद ही एक और अवधि के लिए फिर से नियुक्ति के लिए पात्र होगा। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर

अश्वनी कुमार कंमल, उप-निदेशक (एसबी)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, The 1st Feburary, 2018

No.F.6(1)/RR/SB/DTTE/2013/339:- In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68-DH (S) dated 24.09.1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to frame the Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Principal, G.B. Pant Engineering College under the Department of Training & Technical Education, Govt. of National Capital Territory of Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement:**—**(1)** These regulations may be called the Principal, G.B. Pant Engineering College in Department of Training & Technical Education, GNCTD Recruitment and Promotion Regulation, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Scale of pay:—**The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in Column 2 to 4 of the said Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification:—**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column No. 5 to 11 of the said Schedule.

4. **Disqualifications**:—No person

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that Department of Training & Technical Education may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:—**Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing, and in consultation with Union Service Public Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving:—**Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Principal	1*(one) (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-A Gazetted, Non-Ministerial.	PB-4 Rs. 37400-67000 Plus Academic Grade Pay Rs. 10,000/- plus a special allowance of Rs. 3000/- per month.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By Deputation including Short – Term contract.	Deputation (including short term contract) Officers under Central Government/ State Governments / Union Territory Administration/ Public Sector Undertakings/Universities/Recognized Research Institutions/Semi Government or Autonomous Bodies/Statutory Organizations. A. (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; OR (ii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-4, Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 9000/- or equivalent in the parent cadre or Department; AND B. Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (I) B.E./B.Tech. and ME/M.Tech in Mechanical & Automation Engineering / Computer Science & Engineering / Electronics & Communication Engineering with First Class or Equivalent Either in B.E./ B.Tech. or M.E. / M. Tech. and Ph.D. or Equivalent in Appropriate Discipline. (II) Minimum of 10 years experience in teaching/research/industry experience out of which at least 3 years should be at the level of Professor, or Minimum 13 years experience in Teaching and / or research and / or industry. In case of research experience, books/research paper publications/ IPR/Patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising/designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books, teaching/research paper,	Not Applicable	Consultation with UPSC necessary.

publications/IPR/patents, etc. as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.

Desirable:

Post Ph.D. publications and guiding Ph.D. Students is desirable.

Note 1: Equivalence for Ph.D is based on publication of 5 International Journal Papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the author's area of specialization.

Note 2: Ph.D shall be from a recognized University.

Note 3: For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph.D degree in the relevant discipline.

Note 4: Experience at Diploma Institute is also considered equivalent to experience degree level institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory.

Note 5: If a Class/division is not awarded, minimum of 60% of marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:

Grade Point	Percentage of Marks
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(Period of deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall not exceed five years. The incumbent appointed to the post shall be eligible for re-appointment for one more term only after a similar selection process. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Director (SB)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.06 20:25:13 +05'30'